AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

गोपाल कृष्ण गोखलेः व्यक्तित्व एवं विचारों का समीक्षात्मक अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE



Authors

दीपक कुमार दीक्षित
शोधार्थी

प्रो. (डॉ.) अभिलाख सिंह नरवरिया
शोध निर्देशक
राजनीति विज्ञान विभाग
मालवांचल विश्वविद्यालय
इन्दौर, मध्य प्रदेश, भारत

प्रो. (डॉ.) आदित्य कुमार सिंह
सह–शोध निर्देशक
विभागध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
स्वामी शुकदेवानन्द कॉलेज
शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

शोध सार

आधुनिक युग वैचारिक संघर्षों का युग है। आज कोई भी जननेता जनमानस में तब तक प्रतिष्ठा एवं प्रभाव स्थापित नहीं कर सकता जब तक कि वह ज्वलंत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के सम्बन्ध में अपना अभिमत व्यक्त न करे। प्रत्येक राष्ट्र का अपना अतीत अपनी संस्कृति और अपनी चुनौतियां होती है, जिनके धरातल पर विभिन्न राजनीतिक दल और इन दलो का नेतृत्व करने वाले महान पुरूष अपनी धारणाएं एवं सिद्धांत निर्मित करते है। गोपाल कृष्ण गोखले उन्हीं श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता में से एक है जिनके व्यक्तित्व और विचारों का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह शोधपत्र गोपाल कृष्ण गोखले व्यक्तित्व एवं विचारों का भारतीय राजनीति में समीक्षात्मक अध्ययन करता है।

मुख्य शब्द

उदारवाद, नैतिकता, आदर्शवाद, ब्रिटिश शासन व्यवस्था, राष्ट्रीय आन्दोलन.

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास उन महान व्यक्तियों से प्रारंभ हुआ था जिन्होंने भारत के भविष्य के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर, तेजी से बदलते भारत को उनका विशिष्ट योगदान आज भी प्रासंगिक है– 'वैधानिक उपायों द्वारा आंदोलन चलाने का तरीका'[1] गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राजनीति में उदारवादियों के सिरमौर थे उनकी महानता इस बात में भी थी कि राजनीति में उन्होंने नैतिक मूल्यों को स्थान दिया तथा उग्रवादियों के प्रतिरोध के बावजूद बड़े धैर्य एवं संयम के साथ संवैधानिक मार्ग पर चलने रहे। वे राजनीति और नैतिकता में कोई भेद नहीं समझते थे और उन्होंने भारतीय राजनीति को अपने उच्च चरित्र आदर्शों से प्रभावित किया। उन्होंने सदैव क्रमिक सुधारो का पक्ष लिया और भारत के लिए एकाएक स्वशासन की मांग को अव्यावहारिक माना। वे महान संसदवेदा थे, उनका वक्त के रूप में देखकर कर्जन ने यहां तक लिखा है कि ''मैं आज तक किसी जाति में गोखले जैसा परंपराओं का सम्मान तथा पालन करने वाला योग्य वक्ता नहीं देखा।''[2]

गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में हुआ था और उनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 को हुई थी। वह एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से उभरे और उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त की जब आधुनिक शिक्षा तक पहुंच भारतीय समाज के एक वर्ग के राजनीतिक दृष्टिकोण को बदल रही थी।

उन्होंने 1884 में बॉम्बे के एलफिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी शिक्षा ने उन्हें पश्चिमी राजनीतिक दर्शन, आधुनिक आर्थिक विचारों और संवैधानिक सरकार से जुड़ी उदार परंपराओं से अवगत कराया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में शामिल होने के बाद, वह पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से जुड़े, जहाँ उन्होंने इतिहास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के शिक्षक के रूप में काम किया। उनके शैक्षणिक करियर ने विश्लेषणात्मक और तर्क–वितर्क क्षमताओं को विकसित करने में मदद की जिसने बाद में उनके राजनीतिक भाषणों को अलग पहचान दी। उनके बौद्धिक विकास पर निर्णायक प्रभाव न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे का था, जिनके सुधारवादी दृष्टिकोण में सामाजिक पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास और राजनीतिक उन्नति शामिल थी। रानाडे ने गोखले को राजनीतिक गतिविधि को व्यक्तिगत उन्नति के साधन के बजाय सार्वजनिक जिम्मेदारी के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया।

गोखले 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और धीरे–धीरे इसके प्रमुख उदारवादी नेताओं में से एक बनकर उभरे। कांग्रेस, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके अनुभव ने उन्हें संस्थागत चैनलों के माध्यम से औपनिवेशिक नीतियों को चुनौती देने के अवसर प्रदान किए। 1897 में भारतीय व्यय पर वेल्बी आयोग के समक्ष उनके काम ने औपनिवेशिक सार्वजनिक वित्त के एक सावधान विश्लेषक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा में योगदान दिया।

1905 में गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। उसी वर्ष, उन्होंने देश के प्रति समर्पित सेवा के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।

ये घटनाक्रम उनके राजनीतिक दृष्टिकोण के दो प्रमुख आयामों को दर्शाते हैं: संवैधानिक तरीकों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वशासन की खोज और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के सामाजिक रूप से जिम्मेदार वर्ग का निर्माण इसलिए उनके बौद्धिक विकास को उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी की शुरुआत के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद के व्यापक परिवर्तन के भीतर समझा जाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा के विस्तार, भारतीय मध्यम वर्ग के उद्भव, औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बढ़ती मांग ने ऐसी स्थितियाँ पैदा कीं जिनमें गोखले का उदार राष्ट्रवाद विकसित हुआ।

गोपाल कृष्ण गोखले अपने समय के चमकते हुए वे सितारे थे जिन्होंने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्न किया। सभी क्षेत्रों में नैतिकता की स्पर्श की कामना की, आदान–प्रदान और समझौते के मार्ग का समर्थन किया, वैधानिक आंदोलन को गति दी तथा आदर्शवादी मार्गों को भारतीय राजनीति में समन्वय करने का प्रयास किया। उदारवादी राष्ट्रीयता के सबसे योग्य सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले भारत में अपने समय के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ थे, इसी विषय पर मिस्टर के. एम. पानिककर कर का विचार है कि ''वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे।''[3] गोखले राजनीति के क्षेत्र में नैतिकता के मार्ग पर चलने के पक्षधर थे, सार्वजनिक नेता के रूप में उनका लक्ष्य राजनीति कार्यों को आध्यात्मिक रूप देना था, यही मार्ग आगे चलकर महात्मा गांधी ने अपनाया। स्वभाव से आध्यात्मवादी, आदर्शवाद में विश्वास करने वाले गोखले की तुलना ग्लेडस्टोन तथा एरिक्वन से की जाने लगी थी।[4]

गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, के बारे में जकारिया लिखते है कि ''कभी भी किसी गुरु को ऐसा अच्छा शिष्य नहीं मिला जैसे कि रानाडे को गोखले मिला।'' भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली संस्था कांग्रेस ही थी, जैसे गंगा गंगोत्री से एक क्षीण धारा के रूप में निकलती है और जैसे–जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे आसपास की सरिताओं को समेटती हुई चली जाती है वैसे ही स्तिथि राष्ट्रीय आंदोलन की थी। उदारवादी उग्रराष्ट्रवादी क्रांतिकारी और गांधी के रूप में अहिंसक आंदोलन इस आंदोलन के अंग थे।

राष्ट्रीय आंदोलन की प्रारंभिक विचारधारा उदारवादी थी, जिसे मानने वाले उदारवादी नेताओं को सामान्यतः आराम कुर्सी का राजनीतिज्ञ समझा जाता है, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के सम्बन्ध में ऐसी किसी बात की कल्पना नहीं की जा सकती है। देश के प्रति निष्ठा, तप, त्याग और परिश्रम में वह राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य किसी नेता से पीछे नहीं थे। वे जहां अच्छे कार्यों के लिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था की प्रशंसा करते थे वही अंग्रेज शासकों की

गलत नीतियों की आलोचना करने से भी नहीं चूकते थे।[5] उग्रवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले नेता बाल गंगाधर तिलक ने गोखले को एक कमजोर दिल का नरम नेता बताया। वास्तव में गोखले नरम और शिष्ट थे, लेकिन उनकी भाषा की स्पष्टता और उनका प्रभाव किसी आक्रामक जोश से कम न था।

गोखले जनता की आकांक्षाओं को वायसराय तक पहुंचाते थे। सरकार की कठिनाइयों को कांग्रेस तक पहुंचाते थे।[6] वास्तव में गोखले सिद्धांतवादी थे और अपने सिद्धांतो के प्रतिकूल समझौता उन्हें पसन्द नहीं था। गोखले ने भारत सेवा समिति की स्थापना करके एक बड़ा रचनात्मक काम किया। यह ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक संस्था थी जिन्होंने नाममात्र के वेतन पर मातृभूमि की सेवा करने का प्रण लिया।

गोखले के राजनीतिक महत्व को केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी विचार के साथ उनके जुड़ाव से नहीं समझा जा सकता। उनका योगदान आर्थिक आलोचना, विधायी सुधार, प्रारंभिक शिक्षा, सामाजिक समानता, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक नेतृत्व की नैतिक जिम्मेदारियों तक बढ़ा। उनका मानना था कि राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए एक शिक्षित आबादी, राजनीतिक रूप से जागरूक जनता और भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम संस्थानों की आवश्यकता है।

उन क्रांतिकारियों के विपरीत, जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता को तत्काल उखाड़ फेंकने की वकालत की या मुखर राष्ट्रवादियों ने, जिन्होंने प्रत्यक्ष राजनीतिक आंदोलन पर जोर दिया, गोखले ने स्व–शासन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों और निरंतर राजनीतिक जुड़ाव को आवश्यक साधन माना। उनका मानना था कि तर्कसंगत तर्क, जनमत, विधायी भागीदारी और सुधार की लगातार मांगों के माध्यम से राजनीतिक संस्थानों को धीरे–धीरे बदला जा सकता है। उनका दृष्टिकोण ब्रिटिश उदारवादी राजनीतिक विचार के प्रभाव को दर्शाता है, विशेष रूप से प्रतिनिधि सरकार, नागरिक स्वतंत्रता और जिम्मेदार प्रशासन पर इसके जोर को फिर भी गोखले ब्रिटिश शासन के निर्विवाद समर्थक नहीं थे। उन्होंने औपनिवेशिक कराधान, अत्याधिक सैन्य व्यय, प्रशासनिक भेदभाव और सरकार में उच्च पदों से भारतीयों के बहिष्कार की आलोचना की। विधायी संस्थानों में उनकी भागीदारी का उद्देश्य उदार शासन के ब्रिटिश दावों और औपनिवेशिक विषयों के वास्तविक अनुभव के बीच विरोधाभासों को उजागर करना था।

गोखले का बौद्धिक और राजनीतिक विकास पश्चिमी भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन से भी निकटता से जुड़ा था। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे के प्रभाव में, वह राजनीतिक उन्नति और सामाजिक परिवर्तन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में मानने लगे। उन्होंने जाति–आधारित भेदभाव का विरोध किया, महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया और जागरूक नागरिक वर्ग के विकास के लिए प्रारंभिक शिक्षा को आवश्यक माना। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ने उनके दृढ़ विश्वास को प्रदर्शित किया कि राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक बयानबाजी के बजाय अनुशासित सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता है।

गोखले जी ने 1912–1915 तक भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। 1913 में उन्होंने समस्त भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने का प्रयास किया। इसके साथ ही 1913 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह आंदोलन की सहायता हेतु चंदा भी एकत्रित किया। गोखले के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रयास जो उस समय किया गया था, आज सम्पूर्ण भारत इस कार्य में सफल हुआ है। गोखले एक व्यवहारिक आदर्शवादी और राजनीति के क्षेत्र में सच्चे उदारवादी थे। उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में नमक कर के विरुद्ध आवाज उठाई, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अलग करने का भी प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरकारी नौकरियों में भारतीयों को स्थान मिलना चाहिए। कांग्रेस को भारतीय प्रशासन में धीरे–धीरे सुधरो के लिए आंदोलन करना चाहिए, उनके विचारों पर अपने गुरु के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव था।

गोखले भी अपने गुरु महादेव गोविंद रानाडे के समान अंग्रेजों की न्याय प्रियता में बहुत अधिक निष्ठा थी और उनका कहना था कि अंग्रेज उस समय भारत को अभिलंब स्वशासन दे देंगे जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि भारतीय इसके योग्य हैं, लेकिन ब्रिटिश शासन की नीतियों को देखते हुए जीवन के अंतिम वर्षों में गोखले को इस दिशा में निराशा होने लगी। गोखले क्रमिक विकास के पक्षधर थे, संवैधानिक सदनों में उनका अधिक विश्वास था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को वे प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिनिधिमंडल, बातचीत एवं शासन की आलोचना

में विद्रोह, हिंसा, क्रांति तथा उग्रता का विरोध करते थे कि भारतीय राजनीति दृष्टि जागरूक तथा उत्तरदायी शासन के योग्य है। अतः उन्हें प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने के लिए आधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। गोखले के मार्ग को उनके आलोचकों ने 'भिक्षावृत्ति' का नाम दिया किंतु इस प्रकार का आरोप अनुचित था।[7]

गोखले नौकरशाही के विरुद्ध थे और जनतंत्र सरकार के समर्थन समर्थक उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और मांग की भारत में भारतीयों को सरकारी सेवाओं में प्रवेश मिले, निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हो तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। केंद्रीय विधान परिषद में उन्होंने जो भी भाषण दिए थे वे उनके अथक अध्ययन उदार दृष्टिगोचर और एक सी प्रत्येक वस्तु के प्रति उनकी स्थायी रुचि के प्रत्यक्ष प्रमाण थे, जिनसे देश के हित साधन में सहायता मिल सकती थी। ब्रिटिश सरकार गोखले को एक छिपा हुआ राजद्रोही समझने लगी थी क्योंकि वे सरकार की निर्भीक आलोचना करने से नहीं चूकते थे।

गोखले नरम राष्ट्रीयता के अनुयाई थे इसलिए तिलक जैसे उग्रवादी नेता उन्हें कमजोर दिल का नरम नेता कहते थे, पर दृष्टिकोण न तो ब्रिटिश सरकार का सही था और न ही उग्रवादियों का। गोखले राजद्रोह या क्रांतिकारी नहीं थे क्योंकि वे सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का विद्रोह उत्पन्न नहीं करना चाहते थे, वे केवल याचिकाओं व संवैधानिक आंदोलन द्वारा भारत में ब्रिटिश नौकरशाही दोषों को समाप्त कर भारतीयों के लिए अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। गोखले कमजोर दिल के नरम नेता इसलिए नहीं माने जा सकते थे कि ब्रिटिश सरकार की कठोरतम आलोचना करने से वह कभी पीछे नहीं हटे। जीवन के अंतिम वर्षों में यद्यपि गोखले का सरकारी नेक नियति पर विश्वास डगमगाने लगा, फिर भी उन्हें यह पक्का विश्वास बना रहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता के आंदोलन को गति मिलेगी और 25 वर्षों में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाएगी।[8]

गोखले ने भारत में सुधारो की एक योजना प्रस्तुत की जिसे गोखले की राजनीतिक नसीहत कहा जाता है। स्वतंत्रता के महत्व को बताते हुए वह कहते थे कि इस विशाल आदर्श को साक्षात्कृत करने के लिए आवश्यक था कि अपने को जनता का सेवक बनाने वाले ने लोग अपनी शक्तियों का समुचित रूप से समर्पण करें। जहां तक राजनीतिक कार्यनीति का संबंध था गोखले मितवादी थे और संवैधानिक आंदोलन में विश्वास करते थे। बहिष्कार की कार्यप्रणाली उन्हें पसंद नहीं थी, बर्क की भांति गोखले संवैधानिक नीति, धीमे विकास और बुद्धि संगत प्रगति में विश्वास करते थे। वे अतिवादी उपायों तथा सार्वजनिक उन्माद के नाटकीय विस्फोट के विरुद्ध थे।

गोपाल कृष्ण गोखले महान उदारवादी थे जिनका मानव प्रकृति के लिए स्वतंत्रता की अनिवार्यता में गहरा विश्वास था। लार्ड कर्जन के प्रशासन की उन्होंने इसलिए कटु आलोचना की थी, उसने कुशलता के लिए स्वतंत्रता का बलिदान करने की नीति अपनाई थी। भारत की पराधीनता से उन्हें मार्मिक कष्ट पहुंचता था। भारत की जिस स्वतंत्रता का हम आज आनंद ले रहे हैं वह सालों की कड़ी मेहनत और कठोर प्रयासों का फल है। वीरों के अद्वितीय साहस, पसीने, आंसुओं और लहू के कारण ही सालों बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

गोखले के विचारों की प्रासंगिकता एवं निष्कर्ष

गोखले ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य दो अस्त्र स्वदेशी और बहिष्कार पर भी अपने विचार व्यक्त किया बहिष्कार को भी एक ऐसा अस्त्र मानते थे जिनका प्रयोग कोई और रास्ता न रहने पर ही किया जाना चाहिए। शासको की शिकायतों की ओर शासको का ध्यान आकृष्ट करने का यह एक उपयोगी साधन था। गोखले इसे विधि सम्मत हथियार मानते थे इसे काम में लाने से पहले यह आवश्यक था कि सभी ओर किसी सामान्य संकट का अनुभव किया जाए और सभी व्यक्तिगत मतभेद दूर कर लिया जाए। गोखले स्वदेशी को बहुत बड़े पक्षधर थे उन्होंने इसे एक अमूल्य भावना के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा ''स्वदेशी अथवा राष्ट्र प्रेम का दृष्टिकोण मानवता के हृदय में उत्पन्न एक परमोत्कृष्ठ अथवा सुंदरतम विचार है'' मातृभूमि के लिए त्याग सर्वोत्तम स्वदेशी भावना है। स्वदेशी का विचार इतना भावात्मक और प्रीतात्मक है कि उनकी कल्पना से विचारों में कंपन होता है और इसकी वास्तविक अनुभूति की सबसे अधिक आवश्यकता है। स्वदेशी के विचार का प्रभाव यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति देश की सेवा में लग जाता है स्वदेशी के आदर्श को व्यवहार में लाने के लिए आवश्यक विचारों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए

गोखले ने हथकरघा उद्योग का पुनरुत्थान करने और उसे आधुनिक रूप देने के महत्व पर बहुत अधिक बल दिया ताकि किसानों की अतिरिक्त आय हो सके। उन्होंने देश की आर्थिक विकास के प्रति रुचि उत्पन्न करने और राष्ट्रीय हित के लिए परस्पर सहयोग करने का पाठ पढ़ाया। इन सभी विचारों के होते हुए भी गोपाल कृष्ण गोखले ने आध्यात्मिककरण के विचार का भी कभी त्याग नहीं किया। वह राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिकता से अनुरंजिता करना चाहते थे। उनका विचार था कि धर्म को राजनीति का आधार होना चाहिए। अतः चरित्र निर्माण पर हमें सर्वाधिक बल देना होगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए नैतिक चरित्र का उत्थान और सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव आवश्यक है। वे सदैव साध्य के ऊपर साधनों की प्रधानता पर बल देते थे। गोखले की धार्मिक प्रवृत्ति और साधुवृति के कारण ही महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु कहा था।[9]

स्वतंत्रता के लिए गोपाल कृष्ण गोखले न्यायपालिका कार्यपालिका की पृथकता के समर्थक थे। उनका कहना था कि दोनों के संयुक्त हो जाने से नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। गोखले को सरकार के आवश्यक नियंत्रण में विश्वास नहीं था गोखले ने जीवनपर्यंत सरकार के प्रत्येक दमनकारी प्रतिबंधक कानून के विरोध में शक्तिशाली आवाज उठाई। गोखले व्यावहारिक राजनीतिक बुद्धि के धनी थे जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासको को न्याय और उदारता की भावना को उकसा कर उन्हें भारत को अपने साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन देने को तैयार करना चाहते थे। गोखले का विचार था कि उग्रवादी साधनों के साथ उदारवादी भावना से काम किया जाए।[10] इसके साथ ही गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का विरोध किया। उनके अनुसार भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकते थे जब ब्रिटिश सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाती। गोखले की मान्यता थी कि सत्ता का केंद्रीयकरण प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखने और सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ने के लिए गोखले ने विभिन्न अवसरों को सुझाव भी दिए।

गोखले ने भारतीयों में भी राष्ट्रीय एकता एवं दृढ़ता की भावना को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने देशवासियों के नैतिक बौद्धिक और शारीरिक योग्यताओं के विकास पर अधिक बल दिया। वह कहा करते थे कि कठोर परिश्रम, त्याग, सामाजिक स्फूर्ति और नैतिक विकास पर बल दिया जाए, जिससे राष्ट्रीयता की सुदृढ़ नींव डाली जा सकती है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को भारत राष्ट्र के लिए कल्याणकारी माना और स्वयं यथासंभव ऐसे विवादों को बचाने की कोशिश की जिससे इन दो जातियों के मध्य कटुता पैदा ना हो। उन्होंने हिंदू मुस्लिम मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावनाएं बनाएं रखने के लिए अथक प्रयास किया जो आज भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है।[11]

सन्दर्भ सूची

1. देव, गिरीकर त्र्यंबक रघुनाथ (1995) *आधुनिक भारत के निर्माता गोपाल कृष्णा गोखले.* प्रकाशन विभाग सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पृ. 05।
2. सिंघल, एस.सी. (2001) *आधुनिक भारत राजनीतिक विचार.* साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा पृ. 107।
3. पणिक्कर के.एम. (2000) *दी फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया.* रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. 99।
4. फड़िया, बी. एल. (2007) *आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन.* साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 108।
5. सीतारमैया, पट्टामि (1972) *काग्रेंस का इतिहास.* खण्ड एक, पद्मा पब्लिकेशन, बम्बई, पृ. 20।
6. सीतारमैया, पट्टामि (1972) *काग्रेंस का इतिहास.* खण्ड एक, पद्मा पब्लिकेशन, बम्बई, पृ. 21।
7. फड़िया, बी. एल. (2007) *आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन.* साहित्य भवन पब्लिकेषन, आगरा, पृ. 104।
8. दुर्गादास (2000) *भारत मे नेहरू और उनके पश्चात्.* रिसर्च, पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. 52–54।
9. फड़िया, बी. एल. (2007) *आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन.* साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 105।
10. पर्वते, टी.बी. (1959) *गोपाल कृष्ण गोखले.* नवजीवन पब्लिकेशन हाउस, अहमदाबाद, पृ. 235।
11. फड़िया, बी. एल. (2007) *आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन.* साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 105।

––==00==––